

File No. 22011/4/2007-MPR
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers

Room No. 407, B-Wing,
Shastri Bhawan, New Delhi
The 17th November 2009.

To

1. Directors of Agriculture of all States/UTs.
2. All SSP Manufacturers
3. DG, FAI

Sub: Revised policy for ad-hoc concession for Single Super Phosphate (SSP) with effect from 1.10.2009 - proforma prescribed for furnishing information on monthly basis by the State Governments of the states in which the SSP units are located.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 13.8.2009 regarding revised policy for ad-hoc concession for Single Super Phosphate (SSP) with effect from 1.10.2009.

2. Enclosed herewith is the Proforma prescribed for furnishing information on monthly basis by the State Governments of the states in which the SSP units are located. This proforma is to be annexed by the manufacturers/marketers of SSP with proforma-A&C for claiming 'on account' payment of concession from Department of Fertilizers under the above said guidelines.

3. This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,



(Varinder Gupta)

Under Secretary to the Government of India
Tel. & FAX: 23388536

Copy to :

Director (FA), Director (Finance), CA, PDIL, NIC for uploading in the Website.

PROFORMA FOR FURNISHING INFORMATION ON MONTHLY BASIS BY THE STATE GOVERNMENTS OF THE STATES IN WHICH THE SSP UNITS ARE LOCATED. THIS PROFORMA IS TO BE ANNEXED BY THE MANUFACTURERS/MARKETERS OF SSP WITH PROFORMA-A&C FOR CLAIMING 'ON ACCOUNT' PAYMENT OF CONCESSION FROM DEPARTMENT OF FERTILIZERS

1. Name of State
2. Name of Unit & Location
3. Date of Inspection
4. Inspecting Authority
5. Month/Year

It is certified that the Inspecting Authority as mentioned above have made inspection on the above said date and have found that M/s _____ is in possession of a well-equipped laboratory to test the samples of the SSP manufactured in its unit located at _____. It is also certified that the SSP manufactured by the unit is of the quality as specified in the FCO. Each bag containing SSP manufactured/sold by the unit has the stamp/print "**Quality Certified**" on it.

Signature

Competent Authority with Stamp

State Government

फाइल सं० 22011/04/2007-एमपीआर

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

कमरा सं. 407,बी-विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 17 नवम्बर, 2009

सेवा में,

4. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि निदेशक
5. एसएसपी के सभी उत्पादक,
6. महा निदेशक, एफएआई

विषय: सिंगल सुपर फॉस्फेट(एसएसपी) के लिए तदर्थ रियायत हेतु दिनांक 1-10-2009 से प्रभावी संशोधित नीति - जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा मासिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र ।

महोदय,

मुझे स विभाग के दिनांक 13-8-2009 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो सिंगल सुपर फॉस्फेट(एसएसपी) के लिए तदर्थ रियायत हेतु दिनांक 1-10-2009 से प्रभावी संशोधित नीति के संबंध में है।

2. जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा मासिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र को इसके साथ संलग्न किया जाता है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उर्वरक विभाग से रियायत के "लेखागत" भुगतान का दावा करने के लिए एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं द्वारा इस प्रपत्र को प्रपत्र-क और ग के साथ संलग्न किया जाना है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वीरेंद्र गुप्ता

(वीरेंद्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष व फैक्स:23388536

प्रतिलिपि:

निदेशक(एफए), निदेशक(वित्त), सीए,पीडीआईएल,एनआईसी-वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा तिमाही आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र । उर्वरक विभाग से रियायत के "लेखागत" भुगतान का दावा करने के लिए एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं द्वारा इस प्रपत्र को प्रपत्र-क और ग के साथ संलग्न किया जाना है।

1. राज्य का नाम
2. इकाई और स्थान का नाम
3. निरीक्षण की तारीख
4. निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी
5. तिमाही/वर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित तारीख को निरीक्षण किया और पाया कि मैसर्स ----- के पास----- में स्थित अपनी इकाई में उत्पादित एसएसपी के नमूनों की जांच करने के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस इकाई द्वारा उत्पादित एसएसपी की गुणवत्ता एफसीओ के नियमानुसार है। इकाई द्वारा उत्पादित/बिक्री किए गए एसएसपी के प्रत्येक बैग पर "गुणवत्ता प्रमाणित" की मुहर/मुद्रण है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
राज्य सरकार